महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग न. 15, जैसलमेर रोड, बीकानेर पिन कोड: 334004
दूरभाष: 0151-2970177 ई-मेल: registrar@mgsubikaner.ac.in

क्रमांक: एफ.07(170)/मगंसिंविबी/प्रबंध मण्डल 45 वीं/2026/ 3724 दिनांक: 08-06-2024

1. आचार्य मनोज दीक्षित, माननीय अध्यक्ष प्रबन्ध बोर्ड, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
2. श्री ताराचंद सारस्वत, माननीय विधायक-श्रीडूंगरगढ़, बी-15, समता नगर, बीकानेर।
3. सुश्री सिद्धि कुमारी, माननीया विधायक-बीकानेर पूर्व, लालगढ़ पैलेस, बीकानेर (राज.)
4. प्रमुख शासन सचिव, वित्त, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, शिक्षा संकुल, जे. एल एन मार्ग, जयपुर।
7. संभागीय आयुक्त, बीकानेर।
8. प्रो. भानाराम गाडी, आचार्य-वनस्पति शास्त्र, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, 126/69, करणी नगर, सीरवी हॉस्टल, बासनी फर्स्ट फेज, जोधपुर, 342005
9. श्री वरूण यादव, ए-256, पैरामाउण्ट गोल्फ फोरस्टी विला, सेक्टर जेटा 2, यूपीएसआईडीसी साइट सी, ग्रेटर नोइडा, यू.पी. 201306
10. प्रो. कमल कुमार मिश्रा, आचार्य-गणित, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, 34-कल्याण सिंह कॉलोनी, कांटा चौराहा, कालवाड़ रोड़, झोटवाडा, जयपुर।
11. डॉ. ग्यारसी लाल जाट, पूर्व उपाचार्य, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, वार्ड न. 3, बिल्वा की ढाणी, खाटू रोड़, रींगस जिला सीकर (राज)।
12. प्रो. अमर सिंह, प्राचार्य, राजकीय एन डी. बी. महाविद्यालय, नोहर जिला-हनुमानगढ़।
13. डॉ. अखिलानन्द पाठक, प्राचार्य, आनंद कुटीर, एच-62, वल्लभ गार्डन, बीकानेर।
14. प्रो. अनिल कुमार छंगाणी, आचार्य, पर्यावरण विज्ञान, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
15. प्रो. राजाराम चोयल, आचार्य, पर्यावरण विज्ञान, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
16. प्रो. चन्द्रशेखर कच्छावा, अधिष्ठाता-सामाजिक विज्ञान, राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर।
17. डॉ. सतपाल स्वामी, अधिष्ठाता-शिक्षा, प्राचार्य, गीता को-एज्युकेशन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, घडसाना, श्रीगंगानगर।

विषय:- प्रबंध मण्डल की 45 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दिनांक 30.05.2026 को आयोजित हुई प्रबंध मण्डल की 45 वीं बैठक का कार्यवाही विवरण विश्वविद्यालय पत्र क्रमांक 3314-30 दिनांक 02.06.2026 के साथ प्रेषित कर सात दिवस में आपत्ति आमंत्रित की गई थी। उक्त कार्यवाही विवरण पर किसी भी सदस्य द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं करवाई गई है। अतः प्रबंध मण्डल की 45 वीं बैठक का कार्यवाही विवरण अंतिम रूप से जारी किया जाता है, जिसकी प्रति संलग्न है।

संलग्न:- कार्यवाही विवरण

भवदीय,

Signature Not Verified

Digitally signed by Yashpal Ahuja
Designation : Registrar
Date: 2026.06.08 16:28:22 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 22703174
M e-Sign

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

दूरभाष: 0151-2970177 ई-मेल: registrar@mgsubikaner.ac.in

प.07( )मगंसिविबी/प्रबन्ध बोर्ड-45/2026/ 3302-3313 दिनांक 02-06-2026

प्रबन्ध बोर्ड की 45वीं बैठक
कार्यवृत्त (Minutes)

प्रबन्ध बोर्ड की 45वीं बैठक दिनांक 30 मई, 2026 को प्रातः 11:30 बजे प्रबन्ध बोर्ड सभागार, महर्षि शौनक भवन (कुलगुरु सचिवालय) में कुलगुरु आचार्य मनोज दीक्षित की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :-

क्र.स.	माननीय सदस्य का नाम	
1	**आचार्य मनोज दीक्षित, कुलगुरु** महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर	अध्यक्ष
2	डॉ. मुकेश शर्मा, संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर। प्रतिनिधि, अति. मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार	सदस्य (ऑनलाइन)
3	**प्रो. भाना राम गाडी** माननीय कुलाधिपति द्वारा मनोनीत शिक्षाविद्	सदस्य
4	**प्रो. अमर सिंह** राज्य सरकार द्वारा मनोनीत प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय	सदस्य (ऑनलाइन)
5	**डॉ. अखिलानन्द पाठक** राज्य सरकार द्वारा मनोनीत प्राचार्य, निजी महाविद्यालय	सदस्य (ऑनलाइन)
6	**प्रो. कमल कुमार मिश्रा** राज्य सरकार द्वारा मनोनीत शिक्षाविद्	सदस्य
7	**डॉ. सतपाल स्वामी** कुलुगरु महोदय द्वारा मनोनीत संकायाध्यक्ष	सदस्य
8	**प्रो. चन्द्रशेखर कच्छावा** कुलुगरु महोदय द्वारा मनोनीत संकायाध्यक्ष	सदस्य (ऑनलाइन)
9	**प्रो. अनिल कुमार छंगाणी** कुलुगरु महोदय द्वारा मनोनीत आचार्य	सदस्य (ऑनलाइन)
10	**प्रो. राजाराम चोयल** कुलुगरु महोदय द्वारा मनोनीत आचार्य	सदस्य
11	**श्री यशपाल आहूजा** कुलसचिव	सदस्य सचिव
12	**श्री देवेन्द्र सिंह राठौड़, वित्त नियंत्रक**	विशेष आमंत्रित

प्रबन्ध बोर्ड की 45 वीं बैठक में उपस्थित एवं ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए समस्त प्रबन्ध बोर्ड के माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया। प्रबन्ध बोर्ड में नव-मनोनीत सदस्य प्रो. भाना राम गाडी एवं प्रो. चन्द्रशेखर कच्छावा जी का विशेष रूप से अभिनन्दन एवं स्वागत किया गया। साथ ही निवर्तमान सदस्य प्रो. विश्वपति त्रिवेदी, प्रो. अन्नाराम शर्मा एवं निवर्तमान सदस्य सचिव श्री जसवंत सिंह जी द्वारा विश्वविद्यालय कार्यो एवं प्रबन्ध बोर्ड बैठक में दिये गए सहयोग की सराहना की गई।

अध्यक्ष महोदय ने सदस्य सचिव श्री यशपाल आहूजा जी का स्वागत करते हुए समस्त प्रबन्ध बोर्ड सदस्यों से परिचय करवाया। तत्पश्चात अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रबन्ध बोर्ड बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई। प्रबन्ध बोर्ड द्वारा प्रस्तुत मदों में विचार-विमर्श कर निम्नानुसार निर्णय लिये गए :-

मद संख्या	मद	संबंधित विभाग / अनुभाग
583–1	दिनांक 21.11.2025 को आयोजित हुई प्रबंध बोर्ड की 44वीं बैठक में लिए गए निर्णयों की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट (ATR Action and Taken Report) के अनुमोदन का प्रस्ताव।	
निर्णय	**पालना रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया। पालना रिपोर्ट के विनिर्णय संख्या 568 के विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर वित्तीय परीक्षण उपरान्त उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार को स्मरण पत्र के रूप में प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।**	
584	दिनांक 21.04.2026 को आयोजित हुई विद्या परिषद की विशेष बैठक के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन का प्रस्ताव।	
निर्णय	**विद्या परिषद् कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।**	
585	महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय अधिनियम 2003 (यथा संशोधित) की धारा 11(3)(क) के अंतर्गत नवीन कुलगुरु की नियमित नियुक्ति हेतु खोजबीन समिति में विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड द्वारा नामांकित सदस्य के मनोनयन का प्रस्ताव।	
निर्णय	**प्रबन्ध बोर्ड द्वारा प्रो. कैलाश डागा, कुलगुरु, मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर को महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर में नवीन कुलगुरु की नियमित नियुक्ति हेतु गठित होने वाली खोजबीन समिति में प्रबंध बोर्ड द्वारा सदस्य मनोनीत कर राज्यपाल सचिवालय, लोकभवन, जयपुर को सूचित करने का निर्णय लिया गया।**	
586	प्रतिवेदित है कि विश्वविद्यालय वित्त समिति में कुलगुरु महोदय द्वारा प्रो. अमर सिंह– प्राचार्य, एस.एन.डी.बी. राजकीय महाविद्यालय, नोहर को प्रबंध बोर्ड द्वारा नामित सदस्य के रूप में नियुक्त करने संबंधी आदेश क्रमांक 1251 दिनांक 25.04.2026 की पुष्टि के अनुमोदन का प्रस्ताव।	
निर्णय	**प्रबन्ध बोर्ड द्वारा आदेश की पुष्टि की गई।**	
587	विश्वविद्यालय वित्त समिति की बैठक दिनांक 30.04.2026 में अनुशंषित विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2026–27 के बजट अनुमान एवं वित्तीय वर्ष 2025–26 के वास्तविक बजट के प्रारूप के अनुमोदन का प्रस्ताव।	
निर्णय	**प्रबन्ध बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 के बजट अनुमान एवं वित्तीय वर्ष 2025–26 के वास्तविक बजट के संबंध में वित्त समिति से प्राप्त**	

	अनुशंसा का अनुमोदन किया गया। साथ ही निम्नानुसार सुझाव दिया :– (1) प्रबन्ध बोर्ड द्वारा सुझाव दिया कि बजट में इस प्रकार के प्रावधान किये जावे कि वित्तीय वर्ष में होने वाली आय राशि से अधिक व्यय राशि प्रस्तावित नही हो। साथ ही प्रस्तावित प्रावधान में गत वर्ष की वास्तविक व्यय से प्रस्तावित मद में अधिक राशि का अन्तर नही होना चाहिए। (2) बजट प्रावधान में प्रस्तुत प्रस्तावना में छात्र संख्या अंकित होनी चाहिए। (3) प्रबन्ध बोर्ड द्वारा यह भी सुझाव दिया कि नियमों में प्रावधान होने की स्थिति में विश्वविद्यालय में निर्मित होने वाले भवनों के लिए प्रस्ताव प्रबन्ध बोर्ड की अनुशंसा उपरान्त राजस्थान सरकार की स्वीकृति से निर्माण कार्य करवाये जाने चाहिए। इसके लिए वित्त नियंत्रक को निर्देशित किया कि वे नियमों के प्रावधानों की समीक्षा करे। (4) महाविद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों से लिये जाने वाले विकास शुल्क के संबंध में छात्रों द्वारा लगातार दिये जा रहे ज्ञापनों पर अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्तुत सुझाव पर प्रबन्ध बोर्ड द्वारा डॉ. ग्यारसी लाल जाट, सदस्य प्रबन्ध बोर्ड की अध्यक्षता में समिति गठित करने का निर्णय लिया गया जिसमें राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों के दो–दो प्राचार्यो एवं अतिरिक्त कुलसचिव/उप कुलसचिव स्तर के अधिकारी को सदस्य सचिव के रूप में सम्मिलित करने के निर्देश प्रदान किये। समिति से प्राप्त अनुशंसा को उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार को प्रेषित कर मार्गदर्शन प्राप्त करने का निर्णय भी लिया गया।	
588	महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 की धारा 43 के प्रावधानानुसार वि.वि. की वार्षिक/प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन 2025–26 तैयार कर वि.वि. पत्रांक 16497 दिनांक 02.01.2026 के द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित कर दी गई है। अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानानुसार वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन।	
निर्णय	**प्रबन्ध बोर्ड द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन 2025–26 का अनुमोदन किया गया।**	
589	प्रतिवेदित है कि विश्वविद्यालय कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों से पीएच.डी. कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न चरणों में लिए जाने वाले शुल्क राशि के निर्धारण के संबंध में गठित समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा के अनुमोदन का प्रस्ताव।	
निर्णय	**प्रबन्ध बोर्ड द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय शिक्षकों/ कर्मचारियों के साथ–साथ सम्बद्ध राजकीय महाविद्यालयों एवं निजी महाविद्यालय के शिक्षक एवं कर्मचारी जो विश्वविद्यालय से अनुमोदित हो को सम्मिलित करते हुए अन्य विश्वविद्यालयों में प्रचलित नियमों की जानकारी प्राप्त कर पुनः अनुशंसा प्रस्तुत करने हेतु उक्त समिति को निर्देशित किया गया। समिति से प्राप्त अनुशंसा को वित्तीय परीक्षण उपरान्त आगामी प्रबन्ध बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश भी प्रदान किये गए।**	

टेबल मद

मद संख्या	मद	
590	प्रतिवेदित है कि प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदन की प्रत्याशा में विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 20690–94 दिनांक 30–03–2026 के द्वारा विश्वविद्यालय की दैनिक गतिविधियों के सुलभ संचालन हेतु विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 की धारा 11(17) एवं 12(6) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कुलगुरु महोदय द्वारा पत्रावली पर प्रदत्त आज्ञा दिनांक 30.03.2026 की अनुपालना में वित्तीय वर्ष 2026–2027 के लिए आगामी तीन माह (अप्रेल से जून–2026) तक विश्वविद्यालय की आवश्यकतानुसार यथानुपात आधार पर व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गई। यह स्वीकृति दिनांक 30–06–2026 या प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय का बजट अनुमोदन किये जाने की तिथि जो भी पहले हो तक मान्य होगी। उक्त आदेश प्रबन्ध बोर्ड की पुष्टि हेतु सादर प्रस्तुत है।	
निर्णय	**प्रस्ताव पर माननीय सदस्यों द्वारा आपत्ति व्यक्त करते हुए गत बैठक के विनिर्णय संख्या 570 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित हो। भविष्य में ऐसी पुनरावृति न हो इसकी सुनिश्चित करने के निर्देश प्रदान किये।** **इसके उपरान्त प्रबन्ध बोर्ड द्वारा उक्त आदेश की पुष्टि की गई।**	
591	**विश्वविद्यालय के कार्मिक का उचित माध्यम से किसी अन्य पद के लिए आवेदन करने के उपरांत चयनित हो जाने पर बिना किसी वित्तीय दायित्व के कार्यमुक्त किए जाने के संबंध में।** महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर अधिनियम, 2003 की धारा 48 के अनुसार इस विश्वविद्यालय में महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के नियम, परिनियम, अध्यादेश तथा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए जाने वाले समस्त नोटिफिकेशन और आदेश आदि प्रभावी हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के नियम 33 व 34 में कर्मचारी के सेवा समापन हेतु नोटिस अवधि/वेतन आदि देने का उल्लेख किया गया है। (संलग्नक–I) इसी क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा कनिष्ठ लिपिक पद पर चयनित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के नियुक्ति आदेश दिनांक 12.09.2018 में अन्य शर्तो के साथ नोट संख्या 04 एवं 05 में निम्नानुसार अंकित किया गया था:– **नोट संख्या 04** "विश्वविद्यालय में कार्यग्रहण करने की तिथि से 06 माह की अवधि में यदि कोई अभ्यर्थी सेवा छोड़कर जाता है तो उसे 06 माह के नियत पारिश्रमिक/वेतन के समान राशि विश्वविद्यालय कोष में जमा करानी अनिवार्य होगी" **नोट संख्या 05** "कार्यग्रहण के 06 माह पश्चात यदि कोई अभ्यर्थी सेवा से त्यागपत्र देता है तो उसे तीन माह पूर्व लिखित में नोटिस देना अनिवार्य होगा अन्यथा नोटिस अवधि के बराबर वेतन राशि विश्वविद्यालय में जमा करानी आवश्यक होगी।"	

उक्त आदेश दिनांक 12.09.2018 की विश्वविद्यालय प्रबंध बोर्ड की 32वीं बैठक के मद संख्या 401(6) (संलग्नक–II) में पुष्टि की गई।

वर्तमान में महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर की प्रबंध बोर्ड की 114 वी बैठक दिनांक 17.03.2026 के मद संख्या 06 के निर्णय की अनुपालना में कार्यालय आदेश 10691–755 दिनांक 25.03.2026 (संलग्नक–III) जारी कर पूर्व में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1( )संस्था/मदसविवि/ 2007/44024 दिनांक 09.09.2008 के बिन्दु संख्या (6)(b) को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:–

कार्यालय आदेश क्रमांक F.1() ESTT/MDSU/2007/ 44024 Dated 09.09.2008 के बिन्दु संख्या (6) (b) में अंकित एवं प्रवत्त एवं मान्य प्रावधान	कार्यालय आदेश क्रमांक F.1() ESTT/MDSU/2007/ 44024 Dated 09.09.2008 के बिन्दु संख्या (6) (b) में प्रस्तावित संशोधन
(1)	(2)
<u>(6) (b)</u> in all other the applications of the confirmed employees may be forwarded the addresses by the University subject to the express condition that in the event of the selection of the person concerned on the post applied for, he may be required to give a notice of three months before being relieved from this university failing which he may be required to deposit notice tice pay for three months or for the per period of notice failing short of three months. This condition will be relaxable at the discretion of the Vice-Chancellor **Note: The Vice- Chancellor shall have the power to relax the condition of notice in special cases.**	(6) (b) An employee of the University who applies for a post through the proper channel and is duly selected shall be exempt from the requirement of payment equivalent to three months salary and shall be relieved immediately as desired by him/her without financial liability on this account.

अतः महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के उक्त कार्यालय आदेश 10691–755 दिनांक 25.03.2026 को इस विश्वविद्यालय में अंगीकृत कर प्रभावी किए जाने का प्रस्ताव माननीय प्रबंध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

संलग्नः– उपर्युक्तानुसार।

निर्णय

गत बैठक के विनिर्णय संख्या 568 के अनुसार ही प्रस्ताव उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार को प्रेषित किया जा चुका है। राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त होने के उपरान्त कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।		
592	विश्वविद्यालय कार्मिकों के लिए आर.जी.एच.एस. कटौती के संबंध में राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के संलग्न आदेश का इस विश्वविद्यालय के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण करने एवं कार्मिकों की मांग को दृष्टिगत वित्त नियंत्रक की अध्यक्षता में समिति गठित करने का निर्णय लिया गया।	
593	माननीय सदस्य प्रो. भाना राम गाडी ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय में उपाधि मुद्रण खुली निविदा के माध्यम से कराई जानी चाहिए। उक्त सुझाव पर प्रबन्ध बोर्ड द्वारा सहमति प्रदान की।	

धन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

(यशपाल आहूजा)
सदस्य सचिव